फा.सं. 13011/2/2020-सीबीए2-भाग (2)/पी एंड एस-II

भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

जीपीओए 3, नई दिल्ली

दिनांक 21 अक्टूबर, 2026

आदेश

विषय: कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 और खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत कोयले की बिक्री के लिए कोयला खानों/ब्लॉकों की नीलामी के लिए कार्यपद्धति।

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय (अनुलग्नक-1) पर दिनांक 28.05.2020 के आदेश का संदर्भ लेने का निर्देश दिया गया है, जिसमें कोयला/लिग्नाइट की बिक्री के लिए कोयला और लिग्नाइट खानों/ब्लॉकों की नीलामी की कार्य पद्धति सक्षम अनुमोदन मिलने पर जारी की गई थी। उक्त कार्य पद्धति को दिनांक 24.11.2021 (अनुलग्नक-II), 31.10.2022 (अनुलग्नक-III) और 23.04.2025 (अनुलग्नक-IV) के आदेशों के माध्यम से संशोधित किया गया था।

2. उपर्युक्त कार्य पद्धति में राजस्व हिस्सेदारी का न्यूनतम प्रतिशत 4% निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, आवंटी को अग्रिम राशि जमा करने की आवश्यकता होती है, जिसकी गणना निर्धारित सीमा के अधीन अनुमानित भूवैज्ञानिक भंडारों के मूल्य के 0.2% पर की जाती है। हालांकि, निविदा दस्तावेज में भूमिगत (यूजी) खनन के लिए वर्गीकृत कोयला खदानों के लिए राजस्व हिस्सेदारी का न्यूनतम प्रतिशत 2% होगा और निविदा दस्तावेज में यूजी खनन के लिए वर्गीकृत कोयला खदानों के सफल बोलीदाता के लिए 100% अग्रिम राशि की छूट की अनुमति दी जाएगी।

3. यह देखा गया है कि आंशिक रूप से अन्वेषित कोयला खदानों के मामले में, यह पूर्व-निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि खान यूजी, ओपनकास्ट (ओसी) या मिश्रित खनन के लिए उपयुक्त है या नहीं। तदनुसार, ऐसी खदानों को 4% राजस्व हिस्सेदारी के न्यूनतम मूल्य के साथ नीलामी के लिए पेश किया जाता है। नतीजतन, जहां सफल बोलीदाता अन्वेषण के बाद ऐसी कोयला खदानों में यूजी खनन करता है, वहां अग्रिम राशि उपरोक्त कार्य पद्धति के मौजूदा प्रावधानों के तहत देय होती है।

4. मंत्रालय यह भी मानता है कि ओसी खनन की तुलना में, यूजी खनन में प्रारंभ में उच्च निवेश की आवश्यकता होती है, इसकी उत्पादन पूर्व की अवधि लंबी होती है और इसमें उच्च उत्पादन लागत आती है। हालांकि, भूमिगत खनन के पर्यावरणीय लाभ निश्चित रूप से ऐसे वित्तीय मापदंडों से अधिक महत्वपूर्ण हैं, जिससे यह खनन का बेहतर तरीका बन जाता है। यूजी खनन को अपनाए जाने और प्रोत्साहित करने के लिए, सक्षम प्राधिकारी ने नीलामी के समय निविदा दस्तावेज में यूजी खनन के लिए वर्गीकृत नहीं की गई आंशिक रूप से अन्वेषित कोयला खदानों के भावी सफल बोलीदाताओं को अग्रिम राशि की छूट का लाभ देने के प्रस्ताव को अनुमोदन दिया है, बशर्ते कि सफल बोलीदाता विशेष रूप से यूजी पद्धति के माध्यम से खनन करे। ऐसी कोयला खानों को खान के जीवनकाल के दौरान किसी भी स्तर पर ओसी या मिश्रित खनन में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5. तदनुसार, दिनांक 28.05.2020 की कार्य पद्धति में निम्नानुसार और संशोधन किया गया है:

(i) मौजूदा पैराग्राफ 2.1.5 अग्रिम राशि में, उप-पैरा (ड.) के बाद, निम्नलिखित उप-पैरा सम्मिलित किया जाएगा:

(च) जहां निविदा दस्तावेज में भूमिगत (यूजी) खनन के लिए कोयला खान को वर्गीकृत नहीं किया गया है, लेकिन सफल बोलीदाता यूजी पद्धति के माध्यम से खनन प्रचालन करता है, वहां निम्नलिखित शर्तों पर अग्रिम राशि की छूट की अनुमति दी जाएगी:

(क) आंशिक रूप से अन्वेषित कोयला खानों के लिए: जहां सफल बोलीदाता आंशिक रूप से अन्वेषित कोयला खान के आवंटन के बाद अनुमोदित खनन योजना में भूमिगत (यूजी) खनन करता है, वहां अग्रिम राशि की 100% छूट दी जाएगी।

बशर्ते कि इस प्रावधान के तहत अग्रिम राशि की छूट का लाभ उठाने वाले सफल बोलीदाता को खान के जीवनकाल के दौरान किसी भी स्तर पर खान को ओपनकास्ट (ओसी) या मिश्रित खनन में बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बशर्ते कि उपरोक्त प्रावधान केवल उन खानों पर लागू होगा, जिन्हें इस आदेश के जारी करने के बाद नीलाम किया गया है।

6. उपरोक्त संशोधन इस आदेश के जारी होने के बाद नीलाम की गई कोयला खानों पर लागू होगा।

7. दिनांक 28.05.2020 के आदेश में उल्लिखित अन्य सभी नियम और शर्तें (समय-समय पर संशोधित) अपरिवर्तित रहेंगी।

संलग्नक: यथोपरि

(एल. खम्मिन्थांग)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-26773403

सेवा में,

1. अपर सचिव और नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी, कोयला मंत्रालय

2. निदेशक (एनए)/निदेशक (टी/एनए), उप सचिव (पी एंड एस-I/पी एंड एस-II), कोयला मंत्रालय

प्रतिलिपि: -

1. माननीय कोयला मंत्री के पीएस
2. माननीय कोयला राज्य मंत्री के पीएस
3. सचिव (कोयला) के पीएसओ
4. एसटीडी, एनआईसी, कोयला मंत्रालय-मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

अनुलग्नक - I

फा.सं. 13011/2/2020-सीबीए2-भाग (2)

भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 28 मई, 2020

आदेश

विषय: कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 और खान एवं खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 के तहत कोयले की बिक्री के लिए कोयला खानों / ब्लॉकों की नीलामी की कार्यपद्धति।

अधोहस्ताक्षरी को कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 की धारा 8(5) के साथ पठित कोयला खान (विशेष उपबंध) नियमावली, 2014 के नियम 8(2) और 8(3) का अवलोकन करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि सक्षम प्राधिकारी ने कोयले की बिक्री के लिए संगत अधिनियम के तहत अभिनिर्धारित कोयला खानों / ब्लॉकों की नीलामी की कार्यपद्धति को अनुमोदित किया है जिसका उल्लेख पैरा 2 में नीचे दिया गया है:

2.1 कोयले की बिक्री के लिए कोयला खानों की नीलामी की कार्यपद्धति और अन्य शर्तें निम्नानुसार है:

2.1.1 प्रयोज्यता: यह कार्यपद्धति पूर्ण अन्वेषित कोयला ब्लॉकों / खानों (कोयला संसाधन आकलन, 2017 के लिए संशोधित भारतीय मानक प्रक्रिया के अनुसार जी-1 अन्वेषण चरण में वर्गीकृत) और सीएमएसपी अधिनियम एवं एमएमडीआर अधिनियम के तहत कोयले की बिक्री के लिए आंशिक रूप से अन्वेषित कोयला ब्लॉकों / खानों (जी-2 या जी-3 अन्वेषण चरण में वर्गीकृत) पर लागू होगी। कार्यपद्धति और अन्य शर्तें यथोचित परिवर्तन सहित लिग्नाइट ब्लॉकों पर भी लागू होगी।

2.1.2 बोली मानदंड: बोली मानदं पूर्ण अन्वेषित कोयला खानें (जी-1 अन्वेषण चरण में वर्गीकृत) और आंशिक रूप से अन्वेषित कोयला खानों (जी-2 या जी-3 अन्वेषण स्तर में वर्गीकृत) दोनों के लिए राजस्व शेयर होगा। नीलामी नीचले क्रम से शुरू होगी जहां बोलीदाता के लिए राजस्व शेयर % के लिए बोली लगाना अपेक्षित होगा जो राज्य सरकार को देय होगा। राजस्व शेयर का न्यूनतम राजस्व शेयर % 4% होगा। बोली में वृद्धि राजस्व शेयर के 10% होने तक 0.5% राजस्व शेयर के गुणकों में स्वीकृत की जाएगी और इसके बाद, बोली में वृद्धि 0.25% राजस्व शेयर के गुणकों में स्वीकृत की जाएगी। उन बोलीदाताओं को जिन्होंने बोली लगाने में अधिकतम राजस्व शेयर % दिया है, अधिमानित बोलीदाता घोषित किया जाएगा।

2.1.3 देय राजस्व शेयर:

(क) सफल बोलीदाता को मासिक आधार पर राजस्व शेयर का भुगतान करना होगा जिसका निर्धारण निम्नलिखित के परिणाम अनुसार होगा:

(i) सफल बोलीदाता द्वारा उद्धृत राजस्व शेयर (अंतिम बोली) %;
(ii) कोयले की कुल मात्रा जिस पर माह के दौरान सांविधिक रॉयल्टी देय है; और
(iii) अनुमानित मूल्य या वास्तविक मूल्य, जो भी अधिक हो, जहां

(क) 'अनुमानित मूल्य' से आशय उस तारीख, जिस पर रॉयल्टी देय होती है, सभी प्रासंगिक कोयला श्रेणियों के एनसीआई के उप-सूचकांक के साथ प्रतिनिधि मूल्य को समायोजित करने के बाद प्राप्त मूल्य से है, जहां 'प्रतिनिधि मूल्य' निम्नलिखित परिणाम के अनुसार है:-

(1) मूल वर्ष के भार (अनुमानित मूल्य, नीलामी मूल्य और आयातित मूल्य चैनलों के विभिन्न घटकों में कोयले की मात्रा), और

(2) निविदा जारी करने के समय इन घटकों के मूल्य, और

(ख) 'वास्तविक मूल्य' से आशय कोयले का बिक्री चालान मूल्य, करों, उगाहियों, रॉयल्टी, एनएमईटी, डीएमएफ आदि सहित निवल सांविधिक देयताएं।

(ग) राजस्व शेयर के अतिरिक्त, करों, उगाहियों, रॉयल्टी, एनएमईटी, डीएमएफ आदि सहित अन्य सांविधिक देयताएं।

2.1.4 कुछ कार्यकलापों के तहत राजस्व शेयरिंग मॉडल में प्रोत्साहन राशि:

सफल बोलीदाता को निम्नलिखित कार्यकलापों में प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी:

(क) शीघ्र उत्पादन:

(i) पूर्ण अन्वेषित ब्लॉकों के मामले में, उत्पादन की अनुसूचित तारीख से पहले उत्पादित कोयले की मात्रा के लिए, निविदा दस्तावेज में दी गई उत्पादन अनुसूचित के अनुसार उत्पादन की अनुसूचित तारीख तक, सफल बोलीदाता द्वारा उद्धृत राजस्व शेयर पर 50% की छूट की अनुमति दी जाएगी।

(ii) आंशिक रूप से अन्वेषित ब्लॉकों के मामले में, अनुमोदित खनन योजना में दी गई उत्पादन की अनुसूचित तारीख से पहले उत्पादित कोयले की मात्रा के लिए, उत्पादन की अनुसूचित तारीख तक, सफल बोलीदाता द्वारा उद्धृत राजस्व शेयर पर 50% की छूट की अनुमति दी जाएगी।

(iii) करों, उगाहियों, रॉयल्टी, एनएमईटी, डीएमएफ आदि सहित सांविधिक देयताओं का भुगतान कानून के अनुसार किया जाएगा। उत्पादन शुरू करने के लिए अपेक्षित लागू कानूनों के तहत कोई भी अनुमोदन आदि प्राप्त करने के लिए सफल बोलीदाता को कोई छूट नहीं दी जाएगी।

(ख) कोयले का गैसीकरण या द्रवीकरण: यदि सफल बोलीदाता कोयला गैसीकरण या द्रवीकरण के लिए उत्पादित कोयले की खपत अपने संयंत्रों या अपने धारित संयंत्र, सहायक कंपनी, संबंधित संयंत्र, सहयोगी संयंत्र में करता है या कोयला गैसीकरण या द्रवीकरण के लिए कोयले की बिक्री करता है, तो वार्षिक आधार पर गैसीकरण या द्रवीकरण के लिए खपत किए गए, बेचे गए कोयले या दोनों की कुल मात्रा पर सफल बोलीदाता द्वारा उद्धृत राजस्व शेयर % पर 20% की छूट की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन हो:

(i) गैसीकरण या द्रवीकरण के लिए उस वर्ष अनुमोदित खनन योजना के अनुसार कम से कम 10% अनुसूचित कोयला उत्पादन की खपत होगी या बेचा जाएगा;

(ii) गैसीकरण या द्रवीकरण के लिए खपत किए गए कोयले या बेचे गए कोयले या दोनों की मात्रा हेतु कोयला नियंत्रक के प्रमाणन की आवश्यकता होगी।

(ग) सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति समय-समय पर राजस्व शेयर संबंधी प्रोत्साहन राशि की समीक्षा और निर्धारण कर सकती है।

2.1.5 अग्रिम राशि:

(क) अग्रिम राशि की गणना कोयला खान के अनुमानित भूवैज्ञानिक भंडारों के 0.25% मूल्य पर की जाएगी। अनुमानित भूवैज्ञानिक भंडारों का मूल्य निम्नलिखित के परिणाम के बराबर होगा:

(i) कोयला खान में भूवैज्ञानिक भंडारों की अनुमानित मात्रा, और

(ii) उपर्युक्त पैरा 2.1.3 (क) (iii) (क) में उल्लिखित कोयले की संगत श्रेणियों का प्रतिनिधि मूल्य।

तथापि, देय अग्रिम राशि उपर्युक्त विधि या नीचे दिए गए अधिकतम मूल्य के अनुसार, जो भी कम हो, वास्तविक गणना के अनुसार होगी:-

खान में भूवैज्ञानिक भंडार (मि.ट.)	अग्रिम राशि का अधिकतम मूल्य (करोड़ रु.)
200 तक	100
200 से अधिक	500

(ख) अधिकतम मूल्य की गणना प्रचलित बाजार शर्तों के अनुसार होती है और सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा बाज़ारी शर्तों में पर्याप्त अधिक / कम बदलाव होने पर इसे संशोधित करने की संभावना होती है।

(ग) सफल बोलीदाता को देय राजस्व शेयर के संबंध में समायोजित अग्रिम राशि प्राप्त करने का विकल्प होगा बशर्ते अग्रिम राशि का ऐसा समायोजन वर्ष में देय 50% राजस्व शेयर से अधिक न हो।

(घ) अग्रिम राशि निविदा दस्तावेज में प्रदान की गई 4 समान किश्तों में सफल बोलीदाता द्वारा देय होगी।

2.1.6 कोयले की बिक्री / अथवा उपयोग

कोयला खान से कोयले की बिक्री और / अथवा उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। सफल बोलीदाता सहयोगी कंपनियों और संबंधित पार्टियों को बिक्री, किसी भी उद्देश्य के लिए कोयले के उपयोग सहित परंतु कोयले की कैप्टिव खपत, गैसीकरण, द्रवीकरण और नियति के लिए असीमितता सहित सफल बोलीदाता द्वारा निर्णय लेने पर किसी भी मामले में कोयले को बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे।

2.1.7 कोयला उत्पादन में लचीलापन

(क) सफल बोलीदाता एक वर्ष में अनुमोदित खान योजना के अनुसार 65% अनुसूचित उत्पादन से कम कोयले का उत्पादन नहीं करेगा बशर्ते सफल बोलीदाता तीन वर्षों के किसी भी ब्लॉक में अनुमोदित खान योजना के अनुसार 75% अनुसूचित उत्पादन से कम कोयले का उत्पादन नहीं करेगा। तीन - वर्षीय ब्लॉक की गणना कोयला खान में उत्पादन की अनुसूचित शुरूआत के प्रथम वित्तीय वर्ष से की जाएगी।

(ख) एक वित्तीय वर्ष में कोयला उत्पादन में कमी होने पर सरकार को देय राजस्व शेयर:

(i) वार्षिक कोयला उत्पादन किसी भी वित्तीय वर्ष के 65% अनुसूचित उत्पादन से कम होने पर, सफल बोलीदाता को राजस्व शेयर (उत्पादित और कम कोयले, दोनों के लिए) का भुगतान करना होगा ताकि भुगतान किया गया राजस्व शेयर उस वित्तीय वर्ष के लिए 65% अनुसूचित कोयला उत्पादन के बराबर हो।

(ii) ऐसे मामलों में, कम मात्रा (65% अनुसूचित कोयला उत्पादन कोयले की उस मात्रा से कम होगा जिस पर सांविधिक रॉयल्टी का भुगतान किया गया है) के लिए देय वार्षिक राजस्व शेयर की गणना अनुमानित मूल्य के आधार पर की जाएगी।

(ग) तीन वित्तीय वर्ष के एक ब्लॉक में कोयला उत्पादन में कमी के मामले में सरकार को देय राजस्व शेयर:

(i) इसके अतिरिक्त, तीन वर्षों के एक ब्लॉक में कोयला उत्पादन के उस ब्लॉक के 75% अनुसूचित उत्पादन से कम होने पर, सफल बोलीदाता राजस्व शेयर (उत्पादित और कम कोयले, दोनों के लिए) का भुगतान करेगा ताकि भुगतान किया गया कुल राजस्व शेयर तीन वित्तीय वर्षों के उस ब्लॉक के 75% अनुसूचित कोयला उत्पादन के बराबर हो जाए।

(ii) ऐसे मामलों में, कम मात्रा (कोयले की मात्रा से कम तीन वर्षों का 75% अनुसूचित कोयला उत्पादन जिस पर तीन वर्षों में सांविधिक रॉयल्टी का भुगतान किया जाता है) की गणना अनुमानित मूल्य के आधार पर की जाएगी।

(घ) तथापि, करों, उगाहियों, रॉयल्टी, एनएमईटी, डीएमएफ आदि सहित सांविधिक देयताएं लागू कानून के अनुसार देय होंगी।

2.1.8 कोल बेड मीथेन का दोहन

कोयला खान में कोल बेड मीथेन (सीबीएम) मौजूद होने पर, सफल बोलीदाता खनन पट्टा क्षेत्र में मौजूद सीबीएम का वाणिज्यिक रूप से दोहन भी कर सकते हैं और संबंधित राज्य सरकार द्वारा सीबीएम खनन पट्टा प्रदान करने के बाद अपने तकनीकी अनुमोदन हेतु हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) से संपर्क करेंगे। कोयले के लिए देय मासिक राजस्व शेयर के अतिरिक्त, सफल बोलीदाता कोयला खान की नीलामी के दौरान इसके द्वारा उद्धृत इसी % राजस्व शेयर का भुगतान भी करेगा। सीबीएम के मूल्य पर आने के लिए अन्य तंत्र को प्रशासनिक मंत्रालय होते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी की गई नीति द्वारा अधिशासित किया जाएगा।

2.1.9 ब्लॉक को छोड़ना

आंशिक रूप से अन्वेषित कोयला ब्लॉक के सफल बोलीदाता इन शर्तों को पूरा करने पर कोयला ब्लॉक को छोड़ने की अनुमति देगा।

2.1.10 पात्र मानदंड सहित नीलामी की अन्य निबंधन एवं शर्तों / कार्यरीतियों का निर्णय कोयला मंत्रालय द्वारा लिया जाएगा।

2.1.11 सीएमएसपी अधिनियम के तहत कोयला खानों के आवंटन पर लागू मौजूदा सीसीईए अनुमोदित कार्यपद्धतियों को एमएमडीआर अधिनियम के तहत ब्लॉकों का आवंटन करने पर लागू किया जाएगा।

2.1.12 उत्पादन से संबंधित कोयला खानों या भंडारों या अन्य किसी मानदंड या इनके किसी भी संयोजन, जिन्हें एक कंपनी या इसकी सहयोगी कंपनी, धारित कंपनी या सहायक कंपनी को आवंटित किया जा सकता है, पर कोयले की बिक्री के लिए नीलामी के प्रथम दौर में कोई भी सीमा नहीं लगाई जाएगी। अध्ययनों के आधार पर, नीलामी के बाद के दौरों में उपयुक्त सीमा को सचिवों की अधिकार-प्राप्त समिति के निर्णय / सिफारिश के अनुसार लगाया जा सकता है।

2.1.13 कोयले की बिक्री के लिए कोयला खानों की नीलामी के लिए दिनांक 27.02.2018 को सीसीईए की अनुमोदित कार्यपद्धति को इस प्रस्ताव में शामिल विस्तार-क्षेत्र को संशोधित किया जाएगा।

2.2 सभी संगत कोयला श्रेणियों के उप-सूचकांक सहित राष्ट्रीय कोयला सूचकांक (एनसीआई) को निम्नलिखित संशोधनों के साथ उच्च अधिकार विशेषज्ञ समिति (एचपीईसी) की दूसरी रिपोर्ट के अनुसार विकसित किया जाएगा:

I. एनसीआई की गणना द्विमासिक आधार पर की जाएगी।

II. दो भागों में कोकिंग कोल का विभाजन: स्टील ग्रेड, जिसमें कोकिंग कोल के आयातित घटक का मूल्य शामिल होगा और दूसरा वॉशरी ग्रेड (डब्ल्यू-1, 2, 3 और 4 को शामिल करते हुए), जिसमें कोई भी आयातित घटक नहीं होगा। शेष कोकिंग कोल अर्थात् डब्ल्यू-5 और डब्ल्यू-6 का संबंधित ग्रेड माना जा सकता है।

III. देय राजस्व शेयर: उपर्युक्त पैरा 2.1.3 में यथा-प्रस्तावित।

2.3 सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, नीलामी के सफल दौरों की विविध निबंधन एवं शर्तों और साथ ही इस पैरा में संदर्भित दिनांक 28.05.2020 के का.ज्ञा. में विस्तृत खानों के प्रचालनरत पहलुओं पर विचार-विमर्श करने और निर्णय लेने / सिफारिश करने के लिए दिनांक 28.05.2020 के समसंख्यक का.ज्ञा. द्वारा सचिवों की अधिकार-प्राप्त समिति का गठन किया गया है।

2.4 कोकिंग कोल लिंकेज की समय-सीमा को बढ़ाना:

गैर-विनियमित क्षेत्र लिंकेज नीलामी में कोकिंग कोल लिंकेज को 30 वर्ष की अवधि तक की समय-सीमा के लिए बढ़ाया जा सकता है।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(रिशान रिंताथियांग)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23384104

सेवा में,

(1) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी, कोयला मंत्रालय

(2) संयुक्त सचिव (बीपीपी), कोयला मंत्रालय: एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के संगत प्रावधानों और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत कोयला खानों की नीलामी के संबंध में उपयुक्त आवश्यक कार्रवाई करने के लिए।

(3) निदेशक (सीएलडी), कोयला मंत्रालय

प्रतिलिपि:

1. माननीय कोयला मंत्री के निजी सचिव
2. सचिव (कोयला) के पीएसओ
3. एएस (कोयला) के पीपीएस
4. जेएस (एमएन) के पीपीएस / जेएस (आरकेएस) के पीपीएस / जेएस (बीपीपी) के पीएस
5. डीएस (एनए) / डीएस (सीबीए-II) / डीएस (सीबीए-I)
6. एसटीडी, एनआईसी, कोयला मंत्री को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

अनुलग्नक - II

फा.सं.13011/2/2020-सीबीए 2-पार्ट (2)/पीएंडएस-II

भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 24 नवंबर, 2021

आदेश

विषय: कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 और खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत कोयले की बिक्री के लिए कोयला खानों/ब्लॉकों की नीलामी की पद्धति।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर दिनांक 28.05.2020 के आदेश (प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश पर, केंद्र सरकार ने कोयले की बिक्री के लिए प्रासंगिक अधिनियम के तहत पहचानी गई कोयला खानों/ब्लॉकों की नीलामी के लिए कार्यप्रणाली में निम्नलिखित संशोधन को मंजूरी दी है, जैसाकि नीचे पैरा 2 में उल्लिखित हैं:

2. उपरोक्त विषय पर दिनांक 28.05.2020 के आदेश (प्रति संलग्न) के पैरा 2.1.4 (ख) को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा:

कोयले का गैसीकरण या द्रवीकरण: यदि सफल बोलीदाता कोयला गैसीकरण या द्रवीकरण के लिए या तो अपने स्वयं के संयंत्र (संयंत्रों) या अपनी होल्डिंग, सहायक कंपनी, संबद्ध, सहयोगी के संयंत्र में उत्पादित कोयले का उपभोग करता है या कोयला गैसीकरण अथवा द्रवीकरण प्रक्रिया के लिए कोयले की बिक्री करता है, तो निम्नलिखित शर्तों के अधीन वार्षिक आधार पर गैसीकरण या द्रवीकरण के लिए उपभोग किए गए कोयले की कुल मात्रा या बेचे गए अथवा दोनों पर सफल बोलीदाता द्वारा उद्धृत राजस्व हिस्सेदारी के प्रतिशत पर 50% की छूट दी जाएगी:

(i) उस वर्ष के लिए अनुमोदित खनन योजना के अनुसार निर्धारित कोयला उत्पादन का कम से कम 10% गैसीकरण या द्रवीकरण के लिए उपभोग या बेचा जाएगा;

(ii) कि गैसीकरण या द्रवीकरण के लिए कोयले की खपत या बिक्री अथवा दोनों की मात्रा के लिए कोयला नियंत्रक का प्रमाणीकरण आवश्यक होगा।

3. उपर्युक्त संशोधन कोयले की बिक्री के लिए नीलामी के चल रहे और क्रमिक दौरों के लिए लागू होगा।

4. दिनांक 28.05.2020 के आदेश की अन्य सभी शर्तें यथावत रहेंगी।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्नक: यथोक्त

(ब्यासदेव नाइक)

उप निदेशक (पीएंडएस-II)

दूरभाष. 23070378

प्रति

1. नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी, कोयला मंत्रालय
2. संयुक्त सचिव (पीएंडएस), कोयला मंत्रालय
3. निदेशक (सीएलडी), कोयला मंत्रालय

प्रतिलिपि:

1. माननीय कोयला मंत्री के निजी सचिव
2. सचिव (कोयला) के पीएसओ
3. अपर सचिव (कोयला) के प्रधान निजी सचिव
4. अपर सचिव (एमएन) एवं एनए के प्रधान निजी सचिव
5. संयुक्त सचिव (पी एंड एस) के प्रधान निजी सचिव
6. उप सचिव (एनए)/उप सचिव (पीएंडएस-II/पी एंड एस-I)
7. एसटीडी, एनआईसी, कोयला मंत्रालय..... मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

अनुलग्नक -III

फा.सं.13011/2/2020-सीबीए 2-पार्ट (2)/पीएंडएस-II

भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 31 अक्टूबर, 2022

आदेश

विषय: कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 और खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत कोयले की बिक्री के लिए कोयला खानों/ब्लॉकों की नीलामी की पद्धति।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर दिनांक 28.05.2020 और 24.11.2021 के आदेशों (प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों पर, केंद्र सरकार ने कोयले की बिक्री के लिए प्रासंगिक अधिनियम के तहत पहचानी गई कोयला खानों/ब्लॉकों की नीलामी की कार्यप्रणाली में निम्नलिखित संशोधन को मंजूरी दी है जैसाकि नीचे पैरा 2 में उल्लिखित हैं:

2. उपरोक्त विषय पर दिनांक 28.05.2020 के आदेश का पैरा 2.1.5 (क) निम्नानुसार संशोधित माना जाएगा:-

अग्रिम राशि:

(क) अग्रिम राशि की गणना कोयला खान के अनुमानित भूवैज्ञानिक भंडार के मूल्य के 0.20% पर की जाएगी। अनुमानित भूवैज्ञानिक भंडार का मूल्य निम्नलिखित के उत्पाद के बराबर होगा:

(i) कोयले की खान में भूवैज्ञानिक भंडार की अनुमानित मात्रा, और

(ii) दिनांक 28.05.2020 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2.1.3 (क)(iii)(क) में संदर्भित कोयले के प्रासंगिक ग्रेड का प्रतिनिधि मूल्य

यद्यपि, देय अग्रिम राशि उपरोक्त पद्धति के अनुसार या नीचे उल्लिखित सीमा के अनुसार, जो भी कम हो, वास्तविक गणना के अनुसार होगी:-

खान में भूगर्भीय भंडार (मि.ट.)	अग्रिम राशि की ऊपरी सीमा (करोड़ रुपए)
200 तक	75
200 से ऊपर	500

3. अन्य सभी नियम और शर्तें वही रहेंगी।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(रिशन आर रिंतथियांग)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष. 23073936

प्रति,

1. अपर सचिव एवं नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी, कोयला मंत्रालय
2. निदेशक (एनए)/निदेशक (पीएंडएस-I/पीएंडएस-II)

प्रतिलिपि,

1. माननीय कोयला मंत्री के निजी सचिव
2. सचिव (कोयला) के पीएसओ
3. अपर सचिव (कोयला) के प्रधान निजी सचिव
4. अपर सचिव (एमएन) एवं एनए के प्रधान निजी सचिव
5. एसटीडी, एनआरसी, कोयला मंत्रालय.... मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

अनुलग्नक IV

फा.सं. 13011/2/2020-सीबीए2-भाग (2)/पी एंड एस-II

भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक, 23 अप्रैल, 2025

आदेश

विषय: कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 और खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत कोयले की बिक्री के लिए कोयला खानों/ब्लॉकों की नीलामी के लिए कार्यपद्धति।

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय (अनुलग्नक-1) पर दिनांक 28.05.2020 के आदेश का संदर्भ लेने का निदेश दिया गया है, जिसमें कोयले की बिक्री के लिए कोयला खदानों/ब्लॉकों की नीलामी की कार्यपद्धति सक्षम अनुमोदन मिलने पर जारी की गई थी। उक्त कार्यपद्धति को दिनांक 24.11.2021 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया था और दिनांक 31.10.2022 के आदेश (अनुलग्नक-II और III) द्वारा इसमें और संशोधन किया गया था।

2 उपरोक्त कार्यपद्धति में राजस्व हिस्सेदारी का न्यूनतम प्रतिशत 4 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, आवंटी को अग्रिम राशि जमा करने की आवश्यकता होती है, जिसकी गणना निर्धारित सीमा के अधीन अनुमानित भूवैज्ञानिक भंडारों के मूल्य के 0.2% पर की जाती है। इन दोनों अपेक्षाओं को सभी आवंटियों द्वारा उनके द्वारा उपयोग में लाई गए खनन की विधि अर्थात ओपनकास्ट, भूमिगत या मिश्रित खनन पर ध्यान दिए बिना समान रूप से पूरा किया जाएगा।

3. कोयला मंत्रालय पर्यावरण के अनुकूल और सतत खनन पद्धतियों को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के तहत, विभिन्न प्रोत्साहनों के माध्यम से कोयला खनिकों को प्रोत्साहित कर रहा है। मंत्रालय यह भी मानता है कि ओपन कास्ट खनन की तुलना में, भूमिगत खनन के लिए उच्च प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता होती है, इसकी उत्पादन-पूर्व की अवधि लंबी होती है और इसमें उच्च उत्पादन लागत आती है। हालांकि, भूमिगत खनन के पर्यावरणीय लाभ निश्चित रूप से ऐसे वित्तीय मापदंडों से अधिक महत्वपूर्ण हैं, जिससे यह खनन का बेहतर तरीका बन जाता है।

4. भूमिगत खनन को और गति देने के लिए, सक्षम प्राधिकारी ने कोयला/लिग्नाइट की बिक्री के लिए कोयला और लिग्नाइट खदानों/ब्लॉकों (भूमिगत खनन के लिए आरक्षित) की नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाताओं को राजस्व हिस्सेदारी के न्यूनतम प्रतिशत को घटाकर 2% करने और अग्रिम राशि की पूर्ण छूट प्रदान करने के प्रस्ताव को अनुमोदन दे दिया है। इसलिए, दिनांक 28.05.2020 की कार्यप्रद्धति को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

i. मौजूदा पैराग्राफ 2.1.2 बोली मापदंड के बाद' निम्नलिखित सम्मिलित किया जाएगा:

"बशर्ते, निविदा दस्तावेज में भूमिगत खनन के लिए वर्गीकृत खानों के लिए राजस्व हिस्सेदारी का न्यूनतम प्रतिशत 2% होगा"

ii. मौजूदा पैराग्राफ 2.1.5 अग्रिम राशि में, उप-पैरा (घ) के बाद, निम्नलिखित उप-पैरा सम्मिलित किया जाएगा:

"(ङ.) इस पैराग्राफ में किसी बात के होते हुए भी, निविदा दस्तावेज में भूमिगत खनन के लिए वर्गीकृत खानों के लिए कोई अग्रिम राशि देय नहीं होगी।"

5. राजस्व हिस्सेदारी के कम किए गए न्यूनतम प्रतिशत और अग्रिम राशि की पूर्ण छूट की उपरोक्त संशोधित शर्तों पर भूमिगत खनन के लिए वर्गीकृत कोयला/लिग्नाइट खदानों के सफल आवंटियों को खान के जीवन-काल के दौरान किसी भी स्तर पर भूमिगत खान को ओपन कास्ट या मिश्रित खान में बदलने की अनुमति नहीं होगी।

6. उपरोक्त संशोधन नीलामियों के उत्तरोत्तर दौर से लागू होगा।

7. दिनांक 28.05.2020 के आदेश में उल्लिखित अन्य सभी नियम और शर्तें (समय-समय पर संशोधित) समान रहेंगी।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ जारी किया जाता है।

संलग्नक: यथोपरि

(एल. खम्मिन्थांग)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 011-23073936

सेवा में,

1. अपर सचिव और नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी, कोयला मंत्रालय

2. निदेशक (एनए)/निदेशक (टी/एनए), निदेशक (पी एंड एस-बी-I एंड एस-II), कोयला मंत्रालय

प्रतिलिपि:

1. माननीय कोयला मंत्री के पीएस
2. माननीय कोयला राज्य मंत्री के पीएस
3. सचिव (कोयला) के पीएसओ
4. अपर सचिव एवं नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पीपीएस
5. एसटीडी, एनआईसी, कोयला मंत्रालय कोयला-मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।